

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 113/2022

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार धनाऊ

बनाम

अप्रार्थी-

ठाकराराम पुत्र श्री खेताराम कौम जाट
निवासी सूरते की ढाणी तहसील धनाऊ
जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 विरुद्ध भूमि
आवंटन ग्राम सूरते की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 602/557
रकबा 10-00 बीघा आवंटन निरस्त करने।

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 114/2022

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार धनाऊ

बनाम

अप्रार्थी-

धनाराम पुत्र श्री खेताराम कौम जाट
निवासी सूरते की ढाणी तहसील धनाऊ
जिला बाड़मेर



राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 विरुद्ध भूमि
आवंटन ग्राम बने की बस्ती के खेत खसरा नम्बर 602/557 रकबा
10-00 बीघा आवंटन निरस्त करने।

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित।
2. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।




जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 17.12.2025

1. उपरोक्त दोनों ही प्रकरणों में समान पक्षकार एवं विषय-वस्तु निहित होने से एक ही संयुक्त निर्णय के द्वारा निस्तारित किये जा रहे हैं। निर्णय की एक-एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के दौरान ग्राम पंचायत सूरते की ढाणी में आयोजित भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 10.12.2021 में लिये गये निर्णय के द्वारा अप्रार्थीगण को ग्राम सूरते की ढाणी तहसील धनाऊ के खसरा नंबर 602/557 में प्रत्येक अप्रार्थीगण को 10-00 बीघा भूमि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के तहत नियमन की गई। उक्त दोनो आवंटी श्री धनाराम व ठाकराराम पुत्र श्री खेताराम कौम जाट निवासी सूरते की ढाणी को नियमन भूमि के वक्त धारित खातेदारों भूमि ग्राम सूरते की ढाणी खसरा नंबर 558, 559, 560, 561, 562, 697/551 रकबा क्रमशः 84-16, 1-09, 0-08, 0-06, 104-08, 23-07 कुल रकबा 214-14 बीघा संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज है जिसमें अप्रार्थी के हिस्से में 33-15 बीघा सिंचित भूमि स्वयं के नाम होने के बावजूद तथ्यों को छुपाकर नियमन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 पंचायत समिति धनाऊ के आदेश क्रमांक/राजस्व/शिविर/2021/236 दिनांक 10.12.2021 गैर खातेदारी के हकूक खसरा नंबर 602/557 रकबा 95-00 बीघा में से 10-00 बीघा भूमि नियमन की गई। जबकि अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छुपाकर भूमि आवंटन नियमन सलाहकार समिति से भूमि आवंटन करवाई, आवंटी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है, एवं आवंटी द्वारा अपने पक्ष में नियमन कपट पूर्ण तरीके से तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया है। इस आधार पर प्रार्थी ने उक्त दोनों प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर उक्त दोनो आवंटन नियमों के विपरीत होना मानते हुए राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त करने का निवेदन किया है।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर जवाब हेतु तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया।
4. अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वक्त आवंटन आवेदन के साथ अप्रार्थी द्वारा निष्पादित शपथ पत्र में अपने



जिला कलक्टर
बाइमेर

संतानों के बारे में वंश वृक्ष दर्शाया गया है जिसके अनुसार अप्रार्थी को बहुत कम भूमि हिस्से में आती है, साथ ही अप्रार्थी को आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कई वर्षों से नियमित रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसके साथ ही विधि के सुस्थापित के अनुसार 7 वर्ष से अधिक कब्जे के आधार पर काबिज कृषक का स्वयमेव अधिकार निहित हो जाता है तथा गिरदावरी से स्पष्ट प्रमाणित है कि अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर संवत् 2023 से लगातार कब्जा काश्त होना गिरदावरी रिपोर्ट से भलीभांति प्रमाणित है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि आवंटन करवाने में किसी प्रकार के तथ्य नहीं छिपाये गये थे तथा न ही किसी प्रकार कपट किया गया था तथा समस्त आवंटित कमेटी के समक्ष रखे गये थे तथा समस्त दस्तावेज अपने आवेदन के साथ पेश किये गये थे तथा तहसीलदार धनाऊ स्वयं ने उक्त भूमि पर अप्रार्थी के पुराने कब्जे आधार पर उक्त भूमि को आवंटित करने हेतु दिनांक 10.12.2021 को अनुशंषा की गई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. हमने प्रार्थी के योग्य राजकीय अधिवक्ता को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के दौरान ग्राम पंचायत सूरते की ढाणी में आयोजित भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 10.12.2021 में लिये गये निर्णय के द्वारा अप्रार्थीगण को ग्राम सूरते की ढाणी तहसील धनाऊ के खसरा नंबर 602/557 में प्रत्येक अप्रार्थीगण को 10-00 बीघा भूमि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के तहत नियमन की गई। उक्त दोनो आवंटी श्री धनाराम व ठाकराराम पुत्र श्री खेताराम कौम जाट निवासी सूरते की ढाणी को नियमन भूमि के वक्त धारित खातेदारों भूमि ग्राम सूरते की ढाणी खसरा नंबर 558, 559, 560, 561, 562, 697/551 रकबा क्रमशः 84-16, 1-09, 0-08, 0-06, 104-08, 23-07 कुल रकबा 214-14 बीघा संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज है जिसमें अप्रार्थी प्रत्येक के हिस्से में 33-15 बीघा सिंचित भूमि स्वयं के नाम होने के बावजूद तथ्यों को छुपाकर नियमन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। जबकि अप्रार्थी द्वारा तथ्यों तथ्यों को छुपाकर भूमि आवंटन नियमन सलाहकार समिति से भूमि आवंटन करवाई, आवंटी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है, एवं आवंटी द्वारा अपने पक्ष में नियमन कपट पूर्ण तरीके से तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया है। इस आधार पर प्रार्थी ने उक्त दोनों प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर उक्त दोनो आवंटन नियमों के विपरीत होना मानते हुए आवंटन खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वक्त आवंटन



आवेदन के साथ अप्रार्थी द्वारा निष्पादित शपथ पत्र में अपने संतानों के बारे में वंश वृक्ष दर्शाया गया है जिसके अनुसार अप्रार्थी को बहुत कम भूमि हिस्से में आती है, साथ ही अप्रार्थी को आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कई वर्षों से नियमित रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि आवंटन करवाने में किसी प्रकार के तथ्य नहीं छिपाये गये थे तथा न ही किसी प्रकार कपट किया गया था तथा समस्त आवंटित कमेटी के समक्ष रखे गये थे तथा समस्त दस्तावेज अपने आवेदन के साथ पेश किये गये थे तथा तहसीलदार धनाऊ स्वयं ने उक्त भूमि पर अप्रार्थी के पुराने कब्जे आधार पर उक्त भूमि को आवंटित करने हेतु दिनांक 10.12.2021 को अनुशंषा की गई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया जिसमें पाया जाता है कि ग्राम सूरते की ढाणी में वक्त आवंटन में दोनो अप्रार्थी के हिस्से में अलग-अलग 33-15 बीघा सिंचित भूमि खातेदारी में दर्ज थी। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष अपने इस तथ्य को प्रकट किये बिना मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा आवंटन कराया गया है जो आवंटन आदेश की शर्त संख्या 4(ग) के तहत निरस्त योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनों प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाकर अप्रार्थीगण ठाकराराम, धन्नाराम पुत्र खेताराम कौम जाट निवासी सूरते की ढाणी के खसरा संख्या 602/557 में आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 10.12.2021 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रत्येक को 10-00 बीघा के आवंटन निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार धनाऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जाकर राजस्व अभिलेख में बिला कब्जा दर्ज की जायें तथा पालना से अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर